न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

प्रमिलादेवी वगैरा **बनाम** राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/967 (ucms)

अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

12.11.2021 प्रार्थीगण प्रमिलादेवी पत्नी राकेशकुमार, विजयलक्ष्मी पत्नी विनोदकुमार, सुमित्रादेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति बिश्नोई साकिन 4 पीएसडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 4 पीएसडी–बी के प0 नं0 193/11 के किला नं0 1 ता 12, 19 ता 22 की 3.923 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबे की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 4 पीएसडी–बी के प0 नं0 193/11 के किला नं0 1 ता 12, 19 ता 22 की 3.923 है0 कमाण्ड/अ0क0 मय खाला रकबा प्रमिलादेवी पत्नी राकेशकुमार 1/3 हि0, विजयलक्ष्मी पत्नी विनोदकुमार 1/3 हि0, सुमित्रादेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार 1/3 हि0 जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त रकबा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन/विवाद दर्ज नहीं है। रकबा वन विभाग से सम्बंधित नहीं है मौका पर कब्जा सम्बंधी कोई विवाद नहीं है। सीएडी रिपोर्ट कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन अ0शा0 खण्ड द्वितीय घड़साना क्रमांक 1039 दिनांक 19.08.2021 के अनुसार चक 4 पीएसडी–बी के प0 नं0 193/11 के किला नं0 1/0.10, 2 ता 4, 5/0.10, 8, 9, 10/0.10, 11/0.10, 12, 13/0.10, 19 ता 22 कुल 12–10 बीघा रकबा सीएडी स्कीम दिनांक 21.03.77 से कमाण्ड दर्ज है व रिसर्वे दिनांक 28.04.1986 के अनुसार किला नं0 1/0.10, 5/0.10, 7, 10/0.10, 11/0.10, 13/0.10 कुल 3–10 बीघा रकबा कमाण्ड दर्ज है। प्रार्थी सीएडी रिपोर्ट अनुसार किला नं0 1/2 की 0.076, 5/1 की 0.127, 7/0.253, 10/2 का 0.101, 11/1 की 0.102 की कुल 0.659 है0 रकबा की अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रकबे का अमल–दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि सीएडी में अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना